जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित खनन परियोजना **मैसर्स सिग्मा मिनरल्स लिमिटेड**, ब्लॉक TKSB37, प्रस्तावित क्षेत्र– 4.8068 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ– 262710 टीपीए (रोम) (विक्रय योग्य– 100275 टन एवं ओबी– 162435 टन), निकट गांवः– हरीपुरा, तहसील– खींवसर, जिला–नागौर (राजस्थान) में स्थित है में **लाइमस्टोन खनन (प्रधान खनिज)** की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला कलक्टर नागौर के प्रतिनिधि श्री हरि सिंह शेखावत, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खींवसर की अध्यक्षता में एवं श्री राजकुमार मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर की उपस्थिति में **भारत निर्माण राजीव सेवा केंद्र (आई.टी. सेंटर) बैरावास, तहसील– खींवसर, जिला नागौर** में **दिनांक 15.05.2025** को **प्रातः 11:00 बजे** आयोजित की गई।

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट "अ"** पर संलग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक **05/04/2025** को समाचार पत्र **"द इंडियन एक्सप्रेस"** एवं **"दैनिक नवज्योति"** में प्रकाशित करवाई गई थी, जिसकी प्रतियाँ **परिशिष्ट "ब"** पर सलंग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर ने सभी आगुन्तकों का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, नागौर द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खींवसर को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते है। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जनसुनवाई विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेंगे। इसके पश्चात उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु **मैसर्स सिग्मा मिनरल्स लिमिटेड** के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **मैसर्स वाईब्रेंट टेक्नो लेब प्राईवेट लिमिटेड** को आंमत्रित किया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **मैसर्स वाईब्रेंट टेक्नो लेब प्राईवेट लिमिटेड** के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना निकट गांवः– हरीपुरा, तहसील– खींवसर, जिला–नागौर (राजस्थान) में खनिज– **लाइमस्टोन खनन (प्रधान खनिज)** हेतु प्रस्तावित है, जिसका ब्लॉक **TKSB37**, प्रस्तावित क्षेत्र– 4.8068 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ– 262710 टीपीए (रोम) (विक्रय योग्य– 100275 टन एवं ओबी– 162435 टन), निकट गांवः– हरीपुरा, तहसील– खींवसर, जिला–नागौर (राजस्थान) में स्थित है में **लाइमस्टोन खनन (प्रधान खनिज)** परियोजना होगी। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, खनन परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्‌टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारें में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आंमत्रित किया।

सर्वप्रथम श्री जेठाराम जांगीड़, निवासी बैरावास ने कहा कि गांव की नाड़ी की साफ–सफाई तथा नाड़ी में पानी रोकने की व्यवस्था करवावे, जिससे ग्रामवासियों को पीने का पानी मिले। जिसके प्रत्युत्तर में **पर्यावरणीय सलाहकार** ने कहा कि आपकी मांग को हमारे सामाजिक दायित्वों में शामिल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा आपकी समस्या का पूर्णतया निवारण किया जायेगा।

श्री सियाराम गोदारा निवासी बैरावास ने कहा कि तालाब के मंगरा (अंगौर) क्षेत्र में खनन के कारण वर्षा जल तालाब में आने से अवरूद्ध होता है।

श्री शैतानराम गोदारा निवासी बैरावास ने कहा कि गौचर जमीन पर खनन हो रखा है, जिसके कारण आवारा पशु परियोजना हेतु चयनित जमीन पर चरते है, उनका भविष्य में क्या होगा? जिसके प्रत्युत्तर में **पर्यावरणीय सलाहकार** ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त जमीन सरकारी भूमि है तथा सरकार द्वारा इसे खनन हेतु आंवटित किया गया है। अतः यहां खनन किया जायेगा। परन्तु क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए परियोजना प्रस्तावक द्वारा

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

गौचर भूमि एवं अन्य भूमि पर पौधारोपण तथा पशुओं के लिए घास की पैदावार के लिए हर संभव प्रयास किये जायेंगे।

श्री श्यामसुन्दर वैष्णव निवासी बैरावास ने पर्यावरण के विषय में पूछा कि खनन के स्थल पर विकसित पेड़ के नष्ट होंगे, जिसके बदले आप द्वारा कितने पेड़–पौधे लगाये जायेंगे। जिसके प्रत्युत्तर में **पर्यावरणीय सलाहकार** ने बताया कि सरकार द्वारा अभी तक प्रस्तावक को खनन की मंजूरी प्रदान नहीं की गई, खनन मंजूरी के लिए अभी काफी स्तर है। खनन मंजूरी से पूर्व वन विभाग द्वारा खनन क्षेत्र का अवलोकन कर प्रस्तावक को निर्धारित मुआवजा राशि तथा एक पेड़ के बदले अन्य स्थान पर 10 पेड़ लगाने का प्रस्ताव भी लिया जायेगा।

श्री श्यामसुन्दर वैष्णव निवासी बैरावास ने कहा कि पशुपालकों की जीवनशैली पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तथा खनन के कारण तालाब में जाने वाला पानी भी अवरूद्ध होगा। जिसके प्रत्युत्तर में **पर्यावरणीय सलाहकार** ने बताया कि प्रस्तुति के माध्यम से आपको बताया गया था कि किसी भी प्राकृतिक वर्षा जल एवं सतही जल मार्ग को अवरूद्ध नहीं किया जायेगा। सरकारी नियमों के विपरीत कोई कार्य नहीं किया जायेगा।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि उपस्थित सभी ग्रामवासियों का पर्यावरण के सम्बन्ध में अपने सुझाव/आक्षेप/आपति प्रस्तुत करने हेतु निमंत्रित किया। तथा साथ ही अवगत करवाया कि सरकार द्वारा सरकारी भूमि क्षेत्र के विकास हेतु खनन हेतु आवंटित किया जाता है। तथा पेड़ों की बिना सरकारी मंजूरी के नहीं काटे जायेंगे, एवं जब पेड़ काटें जायेगें तो एक के स्थान पर 10 अन्य पेड़ लगायें जायेंगें। साथ ही उपखण्ड अधिकारी महोदय ने ग्रामवासियों से पुनः निवेदन किया कि सामाजिक दायित्वों की प्राथमिकता वार सूची बनावे तथा मेरे माध्यम से परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त कार्यों को क्रियान्वत करवावे। हमें क्षेत्र के विकास एवं पर्यावरण के सम्बन्ध में ही चर्चा करनी चाहिए।

श्री जेठाराम निवासी बैरावास ने कहा कि सरकार द्वारा आवंटित खनन लीज खातेदारी जमीन की है या सरकारी जमीन की है। जिसके प्रत्युत्तर में **पर्यावरणीय सलाहकार** ने बताया कि इस परियोजना हेतु प्रस्तावित कुल क्षेत्र 4.8 हेक्टेयर है, जिसमें से 4.3 हेक्टेयर सरकारी भूमि एवं 0.5 हेक्टेयर निजी भूमि है। अतः निजी भूमि खनन हेतु खातेदार द्वारा बैचाने के माध्यम से प्रस्तावक की दी जायेगी। अगर खातेदार अपनी भूमि नहीं देता है, तो प्रस्तावक उस भूमि पर खनन नहीं कर सकता। जब तक सरकार द्वारा खनन हेतु मंजरी प्रदान नहीं की जाती है, तब तक प्रस्तावक के पास किसी भी प्रकार का कोई हक इस जमीन पर नहीं है। प्रस्तावक द्वारा

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

सम्पूर्ण सरकारी शर्तों की नियमानुसार पालना के पश्चात् ही सरकार द्वारा खनन हेतु सम्मति दी जायेगी। भारत सरकार नियमानुसार न्यूनतम आबादी क्षेत्र से 45 मीटर, नदी–नाले से 45 मीटर, गाइडेन्सल लाईन से 45 मीटर दूर ही खनन हेतु मंजूरी दी जायेगी।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि आप सभी की मुख्य जिम्मेदारी है कि इकाई द्वारा सरकारी नियम एवं शर्तों की अनुपालना एवं विकास हेतु किये जाने वाले सामाजिक कार्यों की निगरानी रखना तथां प्राथमिकतावार कार्य करवाना।

श्री विशाल चाम्पावत, प्रतिनिधि मैसर्स सिग्मा मिनरल्स लिमिटेड ने उपस्थित सभी नागरिकों का स्वागत किया एवं सभी को आश्वस्त करते हुए कहा कि आपके द्वारा प्रस्तुत सुझाव एवं मांगों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तथा इस क्षेत्र में विकास कार्य के लिए भी हमने अलग से सीएसआर फण्ड भी प्रस्ताव में लिया है। साथ ही भविष्य में हमारे द्वारा आपकी परेशानियों का निस्तारण, विकास के कार्य एवं आपके सुझाव पर कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगें।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन–मानस से प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पुनः निवेदन किया गया। अन्त में ग्रामवासियों द्वारा अन्य कोई आपत्ति/आपेक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदय तथा उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई के दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात ग्राम पंचायत ग्रामवासियों के माध्यम से लिखित में कोई भी आक्षेप इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री राजकुमार मीणा,
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.रा.प्र.नि.म., नागौर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

श्री हरि सिंह शेखावत,
उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
खींवसर, जिला– नागौर

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

उपस्थिति पंजिका

प्रस्तावित लाइमस्टोन खनन (प्रधान खनिज) परियोजना, आवेदक **मैसर्स सिग्मा मिनरल्स लिमिटेड**, ब्लॉक TKSB37, प्रस्तावित क्षेत्र– 4.8068 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ– 262710 टीपीए (रोम) (विक्रय योग्य– 100275 टन एवं ओबी– 162435 टन), निकट गांवः– हरीपुरा, तहसील– खींवसर, जिला–नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थानः– भारत निर्माण राजीव सेवा केंद्र (आई.टी. सेंटर) बैरावास, तहसील– खींवसर, जिला नागौर

दिनाँकः 15.05.2025, समयः प्रातः 11:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Hari Singh	SDO-Khinvsar	[signature]
2.	Rajkumar Meena	R.O. RSPCB, Nagaur	[signature]
3.	Hemant Kumar	JEE, RO RSPCB Nagaur	[signature]
4.	Umesh Sharma	EIA Coordinator Vibrant Technolab Pvt. Ltd	[signature]
5.	Manisha Tanwar	" "	Manisha
6.	Surendra [illegible]	Vibrant Technolab Pvt Ltd	[signature]
7.	[illegible]	Vibrant [illegible]	[signature]
8	Gopal Singh	Sigma Minerals Ltd	[signature] 9414196563
9	VISHAL CHANDORA	SIGMA MINERALS LTD.	V[signature] 7790906877
10	Tulsi Ram Sharma	Sigma Minerals Ltd	TRSharma
11	संवरसिंह	बैरावास 957167327	[signature]
12	जगदाराम	9672646657	
13	अशोक गिरी	बैरावास	
14	खेमदास	बैरावास 6350506644	खेमदास
15	चन्दाराम	बैरावास	चन्दाराम
16.	देराजराम	बैरावास	9587598430
17	Chetan Rawal	JKLC, Khinvsar	9785455843
18	गौतमराम	बैरावास	6376765560
19	मंगाराम [illegible]	बैरावास	7665605126
20	हरदीनराम	बैरावास	9983120266
21	कवराराम	बैरावास	
22	लालाराम	बैरावास	7665094013

उपस्थिति पंजिका

प्रस्तावित लाइमस्टोन खनन (प्रधान खनिज) परियोजना, आवेदक **मैसर्स सिग्मा मिनरल्स लिमिटेड**, ब्लॉक TKSB37, प्रस्तावित क्षेत्र– 4.8068 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ– 262710 टीपीए (रोम) (विक्रय योग्य– 100275 टन एवं ओबी– 162435 टन), निकट गांवः– हरीपुरा, तहसील– खींवसर, जिला–नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थानः– भारत निर्माण राजीव सेवा केंद्र (आई.टी. सेंटर) बैरावास, तहसील– खींवसर, जिला नागौर

दिनाँकः 15.05.2025, समयः प्रातः 11:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
23	लछमणराम	बैरावास	लीछमणराम
24	धर्मीराम	बैरावास	रवीवसर
25	हरेन्द्र	बैरावास	[signature]
26	[illegible]	बैरावास	[illegible]
27	नरेश मुकेल	बैरावास	[signature]
28	शैतानराम गोदारा	बैरावास	Shaitan
29	लिखमाराम	बैरावास	लिखमाराम
30	रामकरण	बैरावास	रामकरण
31	शिवनारायण	बनोड़ा	[signature]
32	महावीर	बैरावास	[signature]
33	मनीष	बैरावास	मनीष
34	भूरालाल	बैरावास	भूरालाल
35	तुलसीराम	बैरावास	तुलसीराम
36	ओमाराम	बैरावास	ओमाराम
37	गिरधारी	बैरावास	गिरधारी
38	ओमप्रकाश	बैरावास	ओमप्रकाश

साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार

न्यूज सर्विस/नवज्योति, कुचामनसिटी

कुचामन सिटी थाना पुलिस एवं साईबर पुलिस थाना भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा साइबर ठगी के प्रकरण में वांछित को शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद (आई पी एस) के निर्देशन में एवं ए एस पी नेमीचन्द खारिया (आर पी एस) तथा डिप्टी एस पी अरविन्द बिश्नोई के निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी सतपाल सिंह के नेतृत्व में साइबर ठगी के प्रकरण में लम्बे समय से वांछित आरोपी सुरेश दादरवाल पुत्र रामदेव जाति कुमावत निवासी रामनगर (खारिया) को गिरफ्तार किया है। इस सम्बन्ध में पुलिस थाना साईबर एवं उच्च तकनीकी भोपाल (मध्यप्रदेश) से पुलिस निरीक्षक शिवांशु मालवीय मय जाप्ता के साइबर ठगी के प्रकरण में आरोपी की तलाश के लिए थाना पर उपस्थित हुए। इनकी ईमदाद में थाना हाजा से ए एस आई मदनलाल मय जाप्ता को भिजवाया गया। आरोपी सुरेश दादरवाल साईबर ठगी के प्रकरण में काफी समय से मध्यप्रदेश साइबर पुलिस का वाण्टेड था, जिसको आज दस्तयाब कर बाद अनुसंधान साईबर पुलिस मध्यप्रदेश द्वारा गिरफ्तार कर भोपाल मध्यप्रदेश ले जाया गया। कार्यवाही को सहायक उपनिरीक्षक मदनलाल, कांस्टेबल मनोज कुमार, कांस्टेबल भंवरलाल एवं पुलिस थाना साइबर एवं उच्च तकनीक भोपाल के पुलिस निरीक्षक शिवांशु मालवीय मय टीम ने अंजाम दिया।

खल से भरा बेकाबू ट्रेलर पलटा

डीडवाना। नजदीकी ग्राम थानू में एक खल से भरा ट्रेलर अचानक बेकाबू होकर पलट गया, जिससे ट्रेलर में भरी खल की बोरियां सड़क पर बिखर गई। हादसे की जानकारी पर डीडवाना थाना पुलिस एवं ग्रामीण मौके पर पहुंचे। बताया गया कि ट्रेलर चालक खल की बोरिया लेकर डीडवाना से मालासर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान थानू ग्राम के अंदर मोड़ पर अचानक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलटी खा गया। पलटी खाने की वजह से ट्रेलर में भरी हुई सारी खल की बोरिया सड़क पर बिखर गई। वहीं मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और सारे घटनाक्रम की जानकारी लेकर अपने आगे की कार्यवाही में जुट गई। ट्रेलर पलटी खाने की वजह से किसी तरह की कोई बड़ी जनहानि बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। केवल खल की बोरिया सड़क पर बिखर गई।

लाडनूं में एक पंचायत समिति और एक नई ग्राम पंचायत होगी गठित

लाडनूं। पंचायती राज विभाग ने पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 101 के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं की सीमाओं में परिवर्तन किया है। विभाग के उपायुक्त एवं उप शासन सचिव (प्रथम) इन्द्रजीत सिंह ने जिला कलेक्टरों को भेजे आदेश में 7 अप्रैल को प्रकाश्य आपत्ति आमंत्रण नोटिसों में सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। इनमें ग्राम पंचायतों के परिसीमन के प्रस्तावों को सम्मिलित किया गया है। इनमें लाडनूं पंचायत समिति में मीठड़ी को अलग से नई पंचायत समिति का गठन किया जाना है और उसमें लाडनूं के अलावा कुछ डीडवाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों को भी सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा रीगण ग्राम पंचायत में से रिड़मलास को नई ग्राम पंचायत गठित किया जाना है।

मीठड़ी बनेगी नई पंचायत समिति इन प्रस्तावों के अनुसार लाडनूं पंचायत समिति से अलग करके मीठड़ी को नई पंचायत समिति गठित की जाएगी, जिनमें लाडनूं व डीडवाना पंचायत समिति की 22 ग्राम पंचायतों को सम्मिलित किया जाना है। इस प्रकार मीठड़ी पंचायत समिति में कसुम्बी, लैड़ी, रोडू, तंवरा, उदरासर, रीगण, मीठड़ी, लाछड़ी, ध्यावा, सारड़ी, भिड़ासरी, खिरड़ीदा, इन्द्रपुरा, थानू, सुपका, लत्तासरी, दयालपुरा, बरड़वा, मावा, चैलूंका, फागड़ी, दाऊसर ग्राम पंचायतों को सम्मिलित किया जाएगा।

रिड़मलास नई ग्राम पंचायत बनाने का प्रस्ताव लाडनूं पंचायत समिति के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में नवसृजित किए जाने वाली ग्राम पंचायतों में रीगण में से रिड़मलास को अलग पंचायत बनाया जाना है, जिसमें रिड़मलास, कुमासिया, कुशलपुरा व गोदारों का बास सम्मिलित रहेंगे। ग्राम पंचायत लाछड़ी के पुनर्गठन के बाद उसमें ग्राम लाछड़ी, फिरवासी, देवरा व तेजपुरा सम्मिलित रहेंगे।

डीडवाना। जिला कलक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे व्याख्याता। कृष्ण मुरारी शर्मा

वरिष्ठ व्याख्याता पद सृजित करने का विरोध, सौंपे ज्ञापन

न्यूज सर्विस/नवज्योति, डीडवाना

राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ व्याख्याता पद के सृजन किए जाने के फैसले के विरोध में राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला के जिला अध्यक्ष नानूराम पोटलिया के नेतृत्व में व्याख्याताओं ने जिला कलक्टर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई कि वरिष्ठ व्याख्याता पद को प्रत्याहारित किया जाए, ताकि शिक्षा प्रणाली को कमजोर होने से बचाया जा सके। व्याख्याताओं ने कहा कि यदि सरकार ने शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो वे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। जिला मंत्री दीपाराम रांकावत ने कहा कि यह निर्णय न केवल व्याख्याताओं के करियर पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा, बल्कि शिक्षा स्तर को भी प्रभावित करेगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में व्याख्याताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, तो आगे बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान भंवरराम सियाग, अजीज खान, परिहार, मूलाराम सेवदा, प्रवीण थालोड़, राजेन्द्र चौधरी, श्रीमती पंकज चौधरी, विमला चौधरी, वीरेंद्र जांगिड़, सुखवीर स्वामी, जगदीश मंडल, भंवरलाल स्वामी, मनोज बाजिया, संजय बड़गुजर, महेंद्र डूडी सहित सैकड़ों व्याख्याता उपस्थित रहे।

जायल। रेसला ब्लॉक जायल के व्याख्याता ने नवसृजित व व्याख्याता के पद विरोध में एसडीएम अभिलाषा चौधरी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। रेसला ब्लॉक जायल के अध्यक्ष गोवर्धन राम लोमरोड ने बताया कि नवसृजित पद व्याख्याता के पदोन्नति का मार्ग अवरुद्ध करता है। साथ इस पद के सर्जन व्याख्याता के 12000 पदों की कमी हो जाएगी, जिससे नई भर्ती व द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी व्याख्याता पद पर पदोन्नति नहीं हो पाएगी। इस अवसर पर ब्लॉक जायल के व्याख्याता महेश खांगड़ा, सुनील पारीक, रामदेव बरेसा, मनीराम ओमप्रकाश बाटण, सुनील दामोदर मोदी, दीनपाल सिंह आदि उपस्थित रहे।

जायल। एसडीएम अभिलाषा चौधरी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते व्याख्याता। रमेश जाजड़

सार समाचार

जयपुर धरने मे शामिल हुए राजस्व कर्मचारी

डीडवाना। डीडवाना जिला मुख्यालय सहित राजस्थान प्रदेश भर में राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ राजस्थान के आह्वान पर कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगो को लेकर जयपुर में आयोजित महा रैली में सम्मिलित होने हेतु कर्मचारियों ने सामूहिक आकस्मिक अवकाश लिया और सभी कार्मिक शहीद स्मारक स्थल पर महारैली में सम्मिलित हुए। संगठन के आह्वान पर निदेशालय गठन के विरोध तथा राजस्व मंत्रालयिक कार्मिकों का तहसीलदार पद पर पदोन्नति में आरक्षण को यथावत रखे जाने तथा अन्य विभिन्न मांगों के संबंध में महारैली का आयोजन किया गया है। अवकाश को लेकर संघ के जिला अध्यक्ष धर्मवीर सिंह ने बताया अपनी विभिन्न मांगो को लेकर मुख्यालय से करीब 250 कार्मिको ने आकस्मिक अवकाश लिया है एवं सभी इस महा रैली मे सम्मिलित हुए हैं। संघ की विभिन्न मांगो को समर्थन कार्मिकों द्वारा दिया गया।

नि:शुल्क नेत्र जाच एव लैस प्रत्यारोपण शिविर 13 को

डीडवाना। श्री आदर्श सरस्वती सेवा समिति के तत्वावधान में शंकर आई हॉस्पिटल एवं जिला अंधता निवारण समिति जयपुर के सहयोग से नि:शुल्क मोतियाबिंद जांच एवं नेत्र लैंस प्रत्यारोपण शिविर 13 अप्रैल को अग्रसेन भवन में आयोजित होगा। समिति के अध्यक्ष नितेश हाजारी ने बताया कि सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक आयोजित शिविर में मरीजों की जांच एवं आधुनिक तकनीक द्वारा की जाएगी। चयनित रोगियों बिना टांके के ऑपरेशन जयपुर में होंगे।

राजा रघुनाथ सिह जयंती को लेकर बैठक

मीठड़ी। कस्बे के बस स्टैंड स्थित राजपूत समाज भवन में समाज की बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि हर साल की तरह इस बार भी मारोठ में राजा रघुनाथ सिंह की जयंती 10 अप्रैल को धूमधाम से मनाई जाएगी। समाज के लोग हर गांव में जाकर समाजबंधुओं को कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दे रहे हैं। बैठक में मूल सिंह, जुगलकिशोर सिंह, अनिल सिंह, देवेन्द्र सिंह, राजकुमार सिंह, गोपाल सिंह, गिरिराज सिंह, दौलत सिंह, भवानी सिंह, विपी सिंह, सुरेंद्र सिंह, श्रवण सिंह, जितेंद्र सिंह सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।

आयुष चिकित्सा शिविर 8 को

मूण्डवा। मूण्डवा के राजकीय ब्लॉक आयुष चिकित्सालय में 8 अप्रैल को आयुष चिकित्सा का शिविर का आयोजन किया जाएगा। आयुष चिकित्सा प्रभारी डॉ. प्रियंका ईनाणियां ने बताया कि शिविर में स्वस्थ जीवनशैली एवं योग की जानकारी के साथ ही चिकित्सा परामर्श व नि:शुल्क औषधि वितरण किया जाएगा। होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी डॉ मिनाक्षी जाट व युनानी चिकित्साधिकारी डॉ आयशा भी सेवाएं देंगे। शिविर का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक है।

खाली प्लॉट में तीसरी बार लगी आग

डीडवाना। डीडवाना शहर के नागोरी गेट के बाहर स्थित एक खाली प्लॉट में तीसरी बार अज्ञात कारणों से आग लगी है। आग लगने की सूचना पर नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची और कुछ ही समय में आग पर काबू पा लिया गया। किसी तरह की कोई बड़ी जनहानि बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। शहर के बीचों-बीच नागोरी गेट के पास में यह खाली प्लाट स्थित है। इस खाली प्लॉट पर तीसरी बार यह आग लगने की घटना सामने आई है। पूर्व में भी दो बार इस खाली प्लॉट में आग लग चुकी है।

हादसे में बाइक सवार चोटिल

डीडवाना। डीडवाना उपखंड क्षेत्र के नजदीकी ग्राम नोजलो की ढाणी के पास में एक बाइक सवार सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिसे 108 एंबुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाकर उपचार करवाया। जानकारी अनुसार बाइक सवार चेतन निवासी रोल अपने रिश्तेदारों के खुनखुना आया हुआ था, खुनखुना से वापस गांव रोल की तरफ जा रहा था कि इसी दौरान वह अपनी बाइक से नोजलो की ढाणी की तरफ पहुंचा, जो रोल की तरफ जा रहा था तभी अचानक ऊंट सामने आ जाने की वजह से बाइक सवार बाइक से नीचे गिर गया। नीचे गिरने की वजह से वह घायल हो गया। घायल होने की सूचना लोगों ने 108 एंबुलेंस को दी। जिस पर 108 के पायलट राकेश बिजारणिया ईएमटी अमरसिंह प्रजापत तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे एवं घायल को 108 की सहायता से राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल लाकर घायल युवक का प्राथमिक उपचार शुरू करवाया।

मोहल्लों में लगे कचरे के ढेर, भारी बदबू से आमजन परेशान

नगरपरिषद नहीं दे रहा है ध्यान

डीडवाना। डीडवाना में नगरपरिषद सफाई कार्य पर हर वर्ष लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन इसके बावजूद भी शहर की सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं है। शहर के अनेक मौहल्ले मे जगह-जगह कचरे के ढेर लगे रहते हैं लेकिन नगरपरिषद प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है। शहर के गाढ़ा बास मे स्थित गौशाला के ठीक सामने चौक में सड़क पर कचरे का ढेर लगा हुआ है। हालात यह है कि यहा पर एक कचरा पात्र भी रखा हुआ है लेकिन कचरा पात्र भी पूरी तरह से कचरे से भरा हुआ है और कचरा बाहर तक बिखरा हुआ है। कचरे में आवारा पशु दिनभर मुंह मारते रहते है। यहां पर फैले कचरे एवं गंदगी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले काफी दिनों से यहा से कचरा संग्रहण नहीं किया गया है। नगरपरिषद के आला अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे है जिससे आने-जाने वाले राहगीरों सहित वाहन चालकों को भारी बदबू का सामना करना पड़ता है। एक तरफ जहां स्वच्छता अभियान चलाया जाता है वहीं दूसरी ओर यहां पर बिखरे कचरे एवं गंदगी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वच्छता अभियान कहा तक सफल है। जिला प्रशासन द्वारा मीटिंगे लेकर निर्देश तो दिए जा रहे है लेकिन निर्देशों की पालना धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है।

फसलों की कटाई एवं खळा (अनाज) निकालने में जुटे अन्नदाता

कुचामनसिटी। क्षेत्र मे पिछले दो-तीन दिन से मौसम मे बदलाव देखा गया है। आसमान में काले बादल छाए नजर आ रहे है। वहीं तेज गर्मी के कारण बारिश की सम्भावना भी प्रबल होती जा रही है। इसी कारण चिन्तित काश्तकार फसलों की कटाई तथा कटी हुई फसलो का खळा (अनाज) निकालने में जुटे हुए है। थ्रेशर मशीन द्वारा वे तुरन्त अपनी फसल को एकत्र करना चाह रहे है ताकि बारिश भी हो तो कोई नुकसान नहीं हो। भीषण गर्मी को चुनौती देते काश्तकार सूर्यदेव के तीक्ष्ण प्रभाव के बावजूद कड़कड़ाती धूप में भी खेतों में कार्य करते नजर आ रहे है। खराब मौसम को देखते हुए सुबह से ही महिलाएं, बच्चे एवं पुरुष खेतों में पहुंचकर जौ, गेहूं, सरसों, चना, ईसबगोल, मैथी सहित अन्य फसलों को निकाल कर घर पहुंचाने में जुटे हुए है। किसान परसाराम बुगालिया का कहना है कि सभी फसलें पककर तैयार हो चुकी है। अधिकांश किसान फसलों की कटाई कर चुके है। जो फसल काट कर खेत-खालिहान में रखी हुई है, उसको ज्यादा दिन तक रखना नुकसान का कार्य हो सकता है, लिहाजा तुरन्त थ्रेसर मशीन से अनाज निकालवा रहे है।

ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़े किसान, फार्म पर उग रहीं 8 सब्जियां

आलनियावास। आलनियावास मे कोडिया मोड़ स्थित कालवी कृषि फार्म पर किसान दिलीप सिंह कालवी ने ऑर्गेनिक खेती शुरू की है। फार्म पर गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, बैंगन, प्याज, भिंडी, ब्रोकली और लेक्टिस जैसी आठ सब्जियों की फसल तैयार की जा रही है। इसके साथ ही तीन किस्म की मशरूम की भी खेती की जा रही है। दिलीप सिंह ने बताया कि आजकल सब्जियों में रासायनिक खाद और कीटनाशकों दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल करने से लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। इसी वजह से उन्होंने पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती का रास्ता चुना है। फार्म पर वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जा रहा है। कीटनाशकों की जगह जीवामृत और वेस्टी कंपोजर जैसी ऑर्गेनिक दवाओं का छिड़काव किया जाता है। इससे सब्जियों में कोई जहरीला असर नहीं होता। फार्म पर किसानों और आम लोगों के लिए ऑर्गेनिक पौधे भी उपलब्ध हैं। लोग यहां से पौधे खरीदकर घर पर भी ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं।

सीवरेज कार्यों में लापरवाही से आमजन परेशान

न्यूज सर्विस/नवज्योति, लाडनूं

शहर में चल रहे सीवरेज कार्यों में लगातार बरती जा रही लापरवाही का खामियाजा आम आदमी भुगतने को मजबूर है। यहा कभी गड्ढे में ट्रेक्टर फसने, कभी ऊंट के गिरने और गिर कर चोटिल होने की घटनाएं आम हो चुकी हैं। हाल ही में इस लापरवाही के कारण हुई दुर्घटना से एक व्यक्ति का पैर टूट गया।

इस बारे में वार्ड सं. 22 के पार्षद राजेश भोजक ने उच्चाधिकारियों को पत्र भेज कर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि लाडनूं में केशरदेवी बालिका विद्यालय, सदर बाजार के पास के मार्गों पर सीवरेज कार्य करने के बाद जो सड़क बनाई गई, उससे केशर देवी बालिका विद्यालय के मोड़ पर बनी नाली सड़क बनने के कारण रुडिप का कार्य के करने वालों की लापरवाही के कारण गड्ढे का रूप ले लिया है, इसकी शिकायत स्थानीय निवासी बहुत बार रुडिप के अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इनकी इसी लापरवाही के कारण इसी गली के निवासी चांद कपूर सेठी का पैर टूट गया।

पत्र में मांग की गई है कि इस लापरवाही भरे कार्य के लिए स्थानीय अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए और इस तरह की सभी लापरवाही पूर्ण किए गए कार्यों को ठीक करवाए जाए। अगर अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं होती है तो विवश हो कर इसके लिए कानूनी कार्यवाही करनी पड़ेगी।

लाडनूं। सीवरेज कार्यों में बरती गई अनियमितता एवं दुर्घटनाग्रस्त युवक का पांव।

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District- Nagaur- 341001
e-mail: rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED/ E-MAIL

पर्यावरणीय हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स ... (प्रकरण सं. 46/2022, 10/2022, 11/2022, 41/2022, 42/2022, 43/2022, 47/2022, 45/2022, 44/2022) ... कुल क्लस्टर क्षेत्र 10.5526 हैक्टेयर ... जिला-नागौर (राजस्थान) ...
2. [illegible] ... दिनांक 14.09.2006 ...
3. [illegible]
4. [illegible] ... दिनांक 14.09.2006 ... 30 दिवस का नोटिस ...
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित ... निम्नलिखित कार्यालयों पर उपलब्ध है:
   1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
   4. जिला कलेक्टर, नागौर।
   5. CEO जिला परिषद-नागौर।
   6. उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता।
   7. तहसीलदार, मेड़ता।
   8. क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको, नागौर।
   9. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
   10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मेड़ता।
   11. ग्राम पंचायत, [illegible]।
   12. [illegible]
6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 08.05.2025 ... [illegible]
अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप ... राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल प्रथम तल, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।
राजकुमार मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District- Nagaur- 341001
e-mail: rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST / E-MAIL
पर्यावरणीय हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

CLASSIFIED
प्रिय पाठकों एवं विज्ञापनदाताओं के लिए
छोटा विज्ञापन बड़ा लाभ
दैनिक नवज्योति लेकर आया है
आकर्षक ऑफर
मात्र 150/- ₹ प्रति विज्ञापन [अधिकतम 25 शब्द तक]
आवश्यकता | किराये हेतु | खरीदना | बेचना
शैक्षणिक | सीखिये | चिकित्सा | फाइनेंस
उपलब्ध | वर चाहिए | वधू चाहिए | ज्योतिष
विशेष स्कीम 3+1 तीन विज्ञापन बुक कराने पर चौथा विज्ञापन फ्री
450/- रु. (जीएसटी सहित) में चार विज्ञापन
नाम परिवर्तन एवं खोया पाया अधिकतम 30 शब्द मात्र 350/- रु (जीएसटी सहित)
प्राइवेट स्कूल, कालेज, संस्थाओं के लिए डिस्प्ले क्लासीफाइड बहुत ही वाजिब दामों में

साइज (कॉलम से.मी.)	दर (BW) 5% जीएसटी सहित
5x3	630/-
10x3	1260/-
5x6	1260/-
10x6	2520/-

3+1 फ्री
अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें - दैनिक नवज्योति 9251097010

NAME CHANGE

I have changed my name from Aarven to Aarven Pathan and in future I should be known by the name of Aarven Pathan son of Yunus Pathan resident of Ward No. 9 Taranagar (Churu) Rajasthan.

NAME CHANGE

I changed my name from ARCHITA RAJESH JHAWAR to ARCHITA KABRA due to marriage with keshav kabra, so in future I should be known and identified by the name ARCHITA KABRA W/o Kesav Kabra R/o Plot No. 37-38, Patel Nagar, Hawa Sadak, Jaipur (Raj.)

GOVERNMENT OF TELANGANA
PUBLIC HEALTH & MUNICIPAL ENGINEERING DEPARTMENT

[illegible]

R.O. No. 16-PP/CE-ADVT/2025-26 Date 04-04-2025

Superintending Engineer (PH), West Circle, Hyderabad

THE SINGARENI COLLIERIES COMPANY LIMITED

E-PROCUREMENT TENDER NOTICE

[illegible] www.scclmines.com

NIT/Enquiry No. Description/subject Estimated Contract Value Last date and time

NN125O0001 Supply of NP3 Class Hume Pipes of Dia 900MM /1000MM/1200MM on Rate contract basis for Two Years for use at Naini Coal Mine, Chhendipada Tahsil Odisha State - 23.04.2025 05.00 PM.

GM, Naini Area

AAVAS FINANCIERS LIMITED

(CIN L65922RJ2011PLC034297) Regd. & Corp. Office: 201-202, 2nd Floor, South End Square, Mansarovar Industrial Area, Jaipur 302020

POSSESSION NOTICE

Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of AAVAS FINANCIERS LIMITED under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred upon me under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice calling upon the borrowers mentioned herein below to repay the amount mentioned in the respective notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on me under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the dates mentioned as below. The borrower and Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the property will be subject to the charge of the AAVAS FINANCIERS LIMITED for an amount mentioned as below and further interest thereon.

Name of the Borrower	Date & Amount of Demand Notice	Description of Property	Date & Type of Possession
LATE MR. DHANJI BHOAI NOW DECEASED THROUGH HIS LEGAL HEIRS MRS. TULASI BHOI, MR RAJENDRA BHOI, MRS. TULASI BHOI, MR. RAJENDRA BHOI (A/C NO.) LNBAH02919-200126140	30 MAY 22 Rs. 643620/- 30 MAY 22	PROPERTY BEARING PATTA NO. 34, BOOK NO 133, VOLUME NO. 196, SITUATED AT PADI KALA, DISTT BANSWARA, RAJASTHAN ADMEASURING 800 SQ. FT.	PHYSICAL POSSESSION TAKEN ON 3 APR 25

Place: Jaipur Date: 05-04-2025

Authorised Officer Aavas Financiers Limited

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

[illegible Hindi notice]

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

Baba Gangnath Marg, Munirka, New Delhi-110067

No. A-12043/3/2024-Admin.I

VACANCY NOTICE FOR THE POST OF DIRECTOR, NIHFW

The National Institute of Health and Family Welfare, an autonomous Institute funded by the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare is an apex technical Institute and Think Tank for promoting health and family welfare programmes in the country through Education and Training, Research and Evaluation, Consultancy, Advisory and Specialized Services.

Applications are invited by the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) from the eligible serving Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognized Government institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government, Autonomous or Statutory Organizations for the following post on DEPUTATION basis.

Sr. No.	Name of the post	No. of Post	Pay Level as per 7th CPC
1	Director	01	Pay Level 15 of 7th CPC Pay Matrix + NPA

For details, including Hindi version of this advertisement, please visit Institute's website "www.nihfw.ac.in" Or MoHFW's website "www.mohfw.gov.in". Completed applications should reach to the Under Secretary (Training Division), Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare), Room No. 504-A, A Wing, Nirman Bhawan, New Delhi-110011, within 30 days of publication of this advertisement.

CBC 17153/12/0006/2425 Director (NIHFW)

INFINITY

Infinity Fincorp Solutions Pvt Ltd

Unit No. B/003 A, on the Ground Floor, Near Courtyard Marriott, 215-Atrium, Andheri- Kurla Road, Andheri East, Mumbai 400093

POSSESSION NOTICE

Whereas The Undersigned Being The Authorized Officer Of The Infinity Fincorp Solutions Pvt. Under The Securitization And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act 2002 And In Exercise Of Powers Conferred Under Section 13(2) Read With Rule 3 Of The Security Interest (Enforcement) Rules 2002 [illegible]

Description of Immovable Property

[illegible]

Place: Rajasthan Date: 05/04/2025

Sd/- Authorized Officer, Infinity Fincorp Solutions Pvt. Ltd.

UMMEED HOUSING FINANCE PVT. LTD

Registered office at: Unit 2009-14, 20th Floor, Tower -2 Magnum Global Park, Golf Course Extension Road, Sect-58, Gurugram (Haryana)-122011) CIN U65922HR2016PTC057984

DEMAND NOTICE U/S(13)2 SARFESI ACT

As the loan account become NPA therefore Authorised officer of UHFPL has issued demand notice u/s 13(2) the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002, to Borrower/Applicant/Guarantor/Mortgagor as given in the table. According to the notice if the borrowers do not deposit the entire amount within 60 days the amount will be recovered from auction of mortgage property secured assets mentioned below. Therefore the borrowers are informed to deposit the entire loan amount along with the future interest and expenses within 60 days from the date of demand notice, otherwise under the provision of 13(4) and 14 of said act the Authorised officer is taking possession for sale of the mortgage property/secured assets as given below. Borrowers to take note that after receipt of this notice in terms of 13(13) of the act 2002 you are prohibited and restrained from the transferring any of the secured assets by way of sale, lease or otherwise without prior written consent of the secured creditor. Borrowers attentions are attracted towards Sec 13(8) R/W Rule 3(5) of the security interest enforcement Rule 2002 Act that the borrower shall be entitled redeem their secured assets upon the payment of the complete outstanding dues as mentioned below before the publication of auction notice, which thereafter shall cease to exist.

S. No.	Name Of Borrower/Applicant/Guarantor/Mortgagor	Date And Amount Of Demand Notice U/S 13(2)
1	1. Geeta Devi W/o Late Karan Singh (Co Borrower Cum Legal Heir) Residing At Ram Nagar Colony Daudpur 60 Ft Road Alwar Rajasthan 301001 Also At: Village & Post Rayabka, Tehsil & District Alwar Rajasthan-301001 Loan No. LXALW02920-210011177 Loan Agreement Date 30 Mar 2021, Loan Amt Rs. 3,50,000/	11 Mar 2025, Rs. 322,324/- (Rupees Three Lacs Twenty Two Thousand Three Hundred Twenty Four Only) As On 11-Mar-25 + Further Interest And Other Charges From The Date 12-Mar-2025

DESCRIPTION OF MORTGAGE PROPERTY: All That Part And Parcel Of Property Bearing Plot No 18/5, Measuring 189.16 Sq yds, Khasra No 199, Situated At Gram Daudpur, Tehsil & District Alwar Rajasthan. Bouned As: North Road, South Open, East Plot No 20/5, West Plot No 18/5

Date: 05.04.2025 Place: Gurugram

Authorized Officer, Mr. Gaurav Tripathi Mobile: 9650055701 UMMEED HOUSING FINANCE PVT LTD

RBL BANK LIMITED

RBL BANK Ltd.

Registered Office: 1st Lane, Shahpuri, Kolhapur-416001

Regional Office: 1st floor, Building no 1, Okhla Industrial Estate, Phase-3, New Delhi-110020

E-AUCTION SALE NOTICE (UNDER SARFAESI ACT, 2002)

E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE ASSET CHARGED TO THE BANK UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 ("SARFAESI ACT") READ WITH RULE 8(6) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 ("RULES")

[illegible] charged (collectively referred as "Property") to RBL Bank Ltd. ("Secured Creditor Bank") [illegible] "As is what is", "Whatever there is" and "Without Recourse Basis" [illegible]

Brief Description of Parties, Outstanding dues and Property

Name of the Borrower & Guarantor (s)	Details of Property	Amount as per Demand Notice, Date of Demand & Possession Notice under SARFAESI Act	Reserve Price EMD Bid Increase Amount	Date/Time of e-Auction	Last Date for Receipt of Bids along with documents	Name of Authorised Officer/ Phone No./ Email Id
M/S Kiran Sales Private Limited [illegible]	Property No. 1 [illegible]	Rs. 3,54,55,164.51/- [illegible]	PROPERTY NO.1 Reserve Price: Rs. 2,21,50,700/- [illegible] EMD Amount: Rs. 22,15,070/- [illegible] Bid Increase Amount: Rs. 50,000/- PROPERTY NO.2 Reserve Price: Rs. 1,58,25,200/- [illegible] EMD Amount: Rs. 15,82,520/- [illegible] Bid Increase Amount: Rs. 50,000/-	PROPERTY NO.1 13.05.2025 AT 11.00 AM; PROPERTY NO.2 13.05.2025 AT 1.00 PM	PROPERTY NO.1 On or Before 12.05.2025 till 05.00 PM; PROPERTY NO.2 On or Before 12.05.2025 till 05.00 PM	Authorised Officer Mrs. Monica Gupta Contact 9910578226 Email monica.gupta@rblbank.com; Manik Kapoor Contact 9999869121 email manik.kapoor@rblbank.com

Terms and Conditions: [illegible]

STATUTORY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER THE SARFAESI ACT

The Borrower/ Co-Borrower's/ Guarantor's (including the Legal Heirs, in case of death of any of the Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor) is/are hereby notified [illegible] with further interest thereon plus penal and other interest and amounts as per the Transaction Documents before the date of E-Auction failing which the Property will be auctioned/ sold to recover the outstanding dues.

Date: 05.04.2025 Place: RAJASTHAN

Sd/- Authorised officer: RBL Bank Ltd

PUNJAB NATIONAL BANK

CIRCLE SASTRA HANUMANGARH

3rd FLOOR GOYAL TOWER, OPPOSITE ASHISH CINEMA, HANUMANGARH - 335512

E-MAIL ID: CS8412@PNB.CO.IN

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) & 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

[illegible]

SCHEDULE OF THE SECURED ASSETS

Lot No.	Name of the Branch / Name of the Account / Name & Addresses of the Borrowers/ Guarantors Account	Description of the Immovable Property Mortgaged / Owner's Name (Mortgagors of Property(ies))	A) Dt. of Demand Notice u/s 13(2) of SARFAESI ACT 2002 B) Outstanding Amount C) Possession Date u/s 13(4) of SARFAESI Act 2002 D) Nature of Possession Symbolic/Physical/Constructive	A) Reserve Price B) EMD Last Date C) Bid Increase Amount	Date/Time of E-Auction	Details of the encumbrances known to the secured creditors
1	PNB Nohar (178010) Sh. Lal Chand S/o Sh. Mohan Lal [illegible]	[illegible]	A) 29.11.2024 B) Rs. 13.11.087.32 as on 31.03.2025 plus with further interest from 01.04.2025 and expenses payable in full C) 30.01.2025 D) Symbolic Possession	A) Rs. 16.00.000/- B) Rs. 1.60.000/- 14.05.2025 C) Rs. 20.000/-	14.05.2025 (From 11.00 AM to 4.00 PM)	Not known
2	PNB Golwala (182710) M/s Jai Santoshi Cotton Ginning and Pressing Factory [illegible] (Raj) - 335802. Guarantor: (1) Sh. Rameshwar Lal S/o Sh. Kani Ram Jangu; (2) Smt. Renu w/o Sh. Brij Mohan Jangu, Both are Resi. at Add. Ward No. 4, Near Thakur Ji Ka Mandir, Village Hardayalpura, Tehsil - Pilibanga, Distt - Hanumangarh (Raj) - 335802	[illegible]	A) 01.11.2024 B) Rs. 3.31.00.488.72 as on 31.03.2025 plus with further interest from 01.04.2025 and expenses payable in full C) 17.01.2025 D) Symbolic Possession	A) Rs. 55.40.000/- B) Rs. 5.54.000/- 14.05.2025 C) Rs. 50.000/-	14.05.2025 (From 11.00 AM to 4.00 PM)	Not known

TERMS AND CONDITIONS: The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions: 1. The property is being sold on "As is where is basis" and "As is what is basis" and "Whatever there is basis". 2. The particulars of Secured Assets specified in the Schedule hereinabove have been stated to the best of the information of the Authorised Officer but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation. 3. The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Website on 14.05.2025 @ 11:00 AM as per timing mentioned in the table above. 4. For detailed term and conditions of the sale, please refer https://www.baanknet.com

Date: 04.04.2025 Place: Hanumangarh

STATUTORY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) & 9(1) OF THE SARFAESI ACT 2002

Authorized Officer, Punjab National Bank, Secured Creditor

NAME CHANGE

I changed my name from Liladhar to Liladhar Jangid. In future I should be known and identified as Liladhar Jangid S/o Parmeshwar Lal for all purposes. Address- Badet Tehsil Malsisar District Jhunjhunu (Rajasthan)

NAME CHANGE

I, Akshat Dhaker solemnly declare that I have to change my name from Akshat to Akshat Dhaker. In future I should be known as Akshat Dhaker S/o Mukesh Kumar Dhaker, R/o Umaji ka Khera, District Bhilwara, Rajasthan.

NAME CHANGE

I, Ayush Kumar Dhakar solemnly declare that I have to change my name from Ayush Dhakar to Ayush Kumar Dhakar. In future I should be known as Ayush Kumar Dhakar S/o Mukesh Kumar Dhakar, R/o Umaji ka Khera District Bhilwara, Rajasthan.

कार्यालय जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण, अजमेर

[illegible Hindi notice]

URGENT REQUIREMENT OF BUILDING ON HIRE FOR ECHS POLYCLINIC REWARI, (HAR.)

1. Station Commander, Military Station Alwar invites applications (Offer document) from desirous house owners at Rewari to rent out their building on hire for 2/3 years to Defence Department (Ex-Servicemen Contributory Health Scheme) ECHS.

2. The desirous parameters and conditions of the building are as under :-

(a) Plot Size 10806 Sqft and Built up Area 5000 Sqft.

(b) Location within the city/ town vis-a-vis important hospitals and health facilities loc.

(c) Preferable Ground Floor with a least 08-10 rooms with minimum 3 toilets, electricity and water supply.

(d) Suitability for placement of medical equipment.

(e) Rent reasonability certificate for approved rent from local municipality/revenue authorities, to be attached with the application.

Note: Desirous persons should forward their application by registered post along with sketch/ blue print to OIC ECHS Cell, Station Headquarters, Alwar by 30 Apr 2025 positively (Contact No: 0144-2980316 and 229889020, 11.00 AM to 3.00PM)

PUBLIC NOTICE

ICICI Bank

Registered Office: ICICI Bank Tower, Near Chakli Circle, Old Padra Road, Vadodara- 390007. Corporate Office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Mumbai-400051

GOLD E-AUCTION CUM INVITATION NOTICE

The below mentioned borrowers have been issued notice to pay off their outstanding amount towards the facility against gold ornaments ("Facility") availed by them from ICICI Bank Limited ("ICICI Bank"). We are constrained to conduct an E-Auction of pledged gold ornaments on April 16, 2025 as they have failed to repay the dues. ICICI Bank has the authority to remove account / change the E-Auction date without any prior notice. Auction will be held online- https://eauction.procuretiger.com between 12:30 pm to 3:30 pm. For detailed Terms and conditions, please log into given website. In case of deceased borrower, all conditions will be applicable to legal heirs.

Loan A/C No.	Customer Name	Loan A/C No.	Customer Name	Loan A/C No.	Customer Name
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Date: 05.04.2025

[illegible]

Sd/ Authorised Officer For ICICI Bank Limited

CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED

CAPRI GLOBAL

Registered & Corporate Office :- 502, Tower-A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 Circle Office :- 9B, 2nd Floor, Pusa Road, New Delhi – 110060

APPENDIX IV POSSESSION NOTICE (for Immovable property)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Capri Global Capital Limited (CGCL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, Demand Notice(s) issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower(s) / Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s)/ Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of the Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement rules, 2002. The borrower's attention is invited to provisions of sub –section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeemthe secured assets. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of CGCL for an amount as mentioned herein under with interest thereon.

S. N.	Name of the Borrower(s) / Guarantor(s)	Description of Secured Asset (Immovable Property)	Demand Notice Date & Amount	Date of Possession
1.	(Loan Account No. LNMEJAP000079465 (Old) 80400005807779 (New) of our Jaipur Branch) Rahul Saini S/o Mr. Ramesh Chand (Borrower) Mrs. Beena Devi W/o Sh. Ramesh Chand Saini, Mrs. Pushpa Saini W/o Sh. Rahul Saini, Chotte Lal Saini S/o Sh. Johri Lal Saini (Co-Borrower)	All Piece and Parcel of property being House/ Plot situated on land Bearing Khata No. 23, out of Khasra No. 6/0.21, 12/0.14, 13/0.31, 36/0.17 and 40/0.27, Area Admeasuring 3378.37 Sq. Fts. Or 375.41 Sq. Yds., Waqa Rama, Village Badbishanpua, Tehsil Baswa, District Dausa, Rajasthan -303313 Bounded as: East: Land of Ramphool Saini West: 18 Ft. Common Road North: Land of Chote Lal Saini South: Seller Land	06-01-2025 Rs. 28,09,310/-	01-04-2025

Place: Dausa (Rajasthan) Date: 05-04-2025

Sd/- (Authorised Officer) For Capri Global Capital Limited (CGCL)

GRIHUM HOUSING FINANCE LIMITED

(FORMERLY KNOWN AS POONAWALLA HOUSING FINANCE LTD)

Registered Office: 6th Floor, B- Building, Ganga Trueno Business Park, Lohegaon, Pune-411014

DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SARFAESI ACT,2002

You the below mentioned Borrowers, Co-borrowers, Guarantors have availed Home loans/Loans against Property facility (ies) by mortgaging your immovable properties from Grihum Housing Finance Limited (formerly known as Poonawalla Housing Finance Limited as the name Poonawalla Housing Finance Limited changed to Grihum Housing Finance Limited with effect from 17 Nov 2023 (Previously known as Magma Housing Finance Limited and originally incorporated with name of GE Money Housing Finance Public Unlimited Company) herein after referred as Secured Creditor". You defaulted in repayment and therefore, your loan/s was classified as Non-Performing Assets. A Demand Notice under Section 13(2) of Securitisation and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act 2002 for the recovery of the outstanding dues sent on last known addresses however the same have returned un-served. Hence the contents of which are being published herewith as per Section 13(2) of the Act read with Rule 3(1) of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 as and by way of Alternate Service upon you. [illegible]

Sr. No.	Name of the Borrower, Co-Borrower, Guarantor and Loan Amount	DETAILS OF THE SECURED ASSET	Demand Notice Date Amount Due in Rs.
1	DHEERAJ PANDIT, KHUSHBU Loan Amount: Rs. 1252000/- Loan No. HL0006210000005043585	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PLOT NO 36 KHASRA NO 309/1 TRIPURTI NAGAR SANGARIYA JODHPUR [illegible] North : Way 25 ft. South : Plot No 33, East : Way 25 ft. West : Plot No 35 Area 1250 Sq ft	25/03/2025 Rs. 1385775/- (Rupees Thirteen Lakh Eighty Five Thousand Seven Hundred Seventy Five Only) together with further interest @ 12.00 p.a till repayment
2	KISHORE KUMAR JANGID, SUNITA JANGIR, GANESH KUMAR JANGID, KRISHAN KUMAR JANGID, DAMODAR PRASAD JANGID, ASHOK KUMAR SHARMA, K.K. BIPEX Loan Amount: Rs. 1845168/- Loan No. HM0003HI6100081	All That Piece And Parcel Of The Converted Residential Land In Khasra No.-166, Village Charanbas, Tehsil Chomu, Jaipur Raj. Admeasuring 1100.00 Sq. Mt. (Hereinafter Referred As The Said Property)	25/03/2025 Rs. 1795655.41/- (Rupees Seventeen Lakh Ninety Five Thousand Fifty Five and Forty One Paisas Only) together with further interest @ 13.50 p.a till repayment
3	MANOJ KUMAR JAIN, SEEMA JAIN Loan Amount: Rs. 1000000/- Loan No. HL0006610000005018195	All That Piece And Parcel Of The Residential Property Part Of Plot No. 07 Admeasuring 42.33 Sq. Yards Part Of Khasra No. 965 Situated At New Geeta Colony, Village Kotra Tehsil And Dist. Ajmer East: Nalli, West: Remaining Part Of Plot No 07, North: Property Of Shri Shyamsunder Soni, South: 16' Wide Public Road Admeasuring Area: 42.33 Sq. Yards	25/03/2025 Rs. 1091327/- (Rupees Ten Lakh Ninety One Thousand Three Hundred Twenty Seven Only) together with further interest @ 13.00 p.a till repayment

You the Borrowers and Co-Borrowers/Guarantors are therefore called upon to make payment of the above-mentioned demanded amount with further interest as mentioned hereinabove in full within 60 Days of this Notice failing which the undersigned shall be constrained to take action under the act to enforce the above mentioned security. Please Note that as per Section 13(13) of The Said Act, You are in the meantime restrained from transferring the above-referred properties by way of sale, lease or otherwise without our consent.

Place: RAJASTHAN Date: 05.04.2025

Sd/- Authorised Officer, Grihum Housing Finance Limited (Formerly known as Poonawalla Housing Finance Limited)

CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड

(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING, MINISTRY OF RAILWAYS)

NSIC MDBP Building, 2nd Floor, Okhla Industrial Estate, Opp. NSIC Okhla Metro Station, New Delhi-110020

OPEN TENDER NOTICE (e-Tendering mode only)

Online E-bids are invited for Providing professional services for Operation & Maintenance of 2 nos. portable pneumatic wheat loading machines for bulk handling of wheat grain along with Supply & Fitment of flexi bulk liner at Kota Locations in Single Packet tendering system through e- tendering mode.

Bid Reference	Tender No. CON/AREA-1/CONTAINER STUFFING/2025
Tendered Quantity	2 nos.
Estimated Cost	Rs. 74,72,940/- (Including taxes)
Earnest Money Deposit(EMD)*	Rs. 1,49,458/- (through online payment gateway to CONCOR)
Cost of Document*	Rs. 1,000 through online payment gateway to CONCOR
Tender processing fee (Non-refundable)*	Rs. 3540/- (Inclusive of Taxes) through online payment
Period of Tender Sale (online)	From 05.04.2025 at 15.00 Hrs to 20.04.2025 at upto 17:00 Hrs.
Date and time of Submission of Bid	21.04.2025 at 11:00 Hrs
Date and time of opening of Bid	21.04.2025 at 15:00 Hrs

*Through e-Payment

For eligibility criteria and other details please log into www.concorindia.com or eprocure.gov.in or www.tenderwizard.com/CCIL. Bidders are requested to visit the website regularly. CONCOR reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reasons thereof. For complete details logon www.tenderwizard.com/CCIL.

GGM/Tech/Area-1

HDFC BANK

We understand your world

Registered Office: HDFC Bank House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai 400 013 and having one of its office as Retail Portfolio Management at HDFC Bank Ltd, 1st Floor, I-Think Techno Campus, Kanjurmarg (East), Mumbai – 400042.

SALE INTIMATION AND NOTICE FOR SALE OF SECURITIES PLEDGED TO HDFC BANK LTD.

The below mentioned Borrowers of HDFC Bank Ltd (the "Bank") are hereby notified regarding the sale of securities pledged to the Bank, for availing credit facilities in the nature of Loans/Overdraft Against Securities.

Due to persistent default by the Borrowers in making repayment of the outstanding dues as per agreed loans / facilities terms, the below loan accounts are classified as NPA (Non-Performing Asset). The Bank has issued loan recall notice to these Borrowers, including the final sale notice on the below-mentioned date whereby Bank had invoked the pledge and provided 7 days time to the Borrower to repay the entire outstanding dues in the below accounts, failing which Bank would be at liberty to sell the pledged securities without issuing further notice in this regard.

The Borrowers have neglected and failed to make due repayments, therefore, Bank in exercise of its rights under the loan agreement as a pledgee has decided to sell / dispose off the Securities on or after 12th April 2025 for recovering the dues owed by the Borrowers to the Bank. The Borrowers are hereby notified to treat this as a notice of sale in compliance of section 176 of the Indian Contract Act, 1872. The Borrowers are, also, notified that, if at any time, the value of the pledged securities falls further due to volatility in the stock market to create further deficiency in the margin requirement then Bank shall at its discretion sell the pledged security within one (1) calendar day, without any further notice in this regard. The Borrower(s) shall remain liable to the Bank for repayment of any remaining outstanding amount, post adjustment of the proceeds from sale of pledged securities.

Sr No.	Loan Account Number	Borrower's Name	Outstanding Amount as on 02nd April 2025	Date of Sale Notice
1	XXXX8064	YOGESH KUMAR	78,188.85	03-04-2025

Date: 05.04.2025 Place: RAJASTHAN

Sd/- HDFC BANK LTD.

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

व्यर्थ जल बहाना
कल पड़ेगा

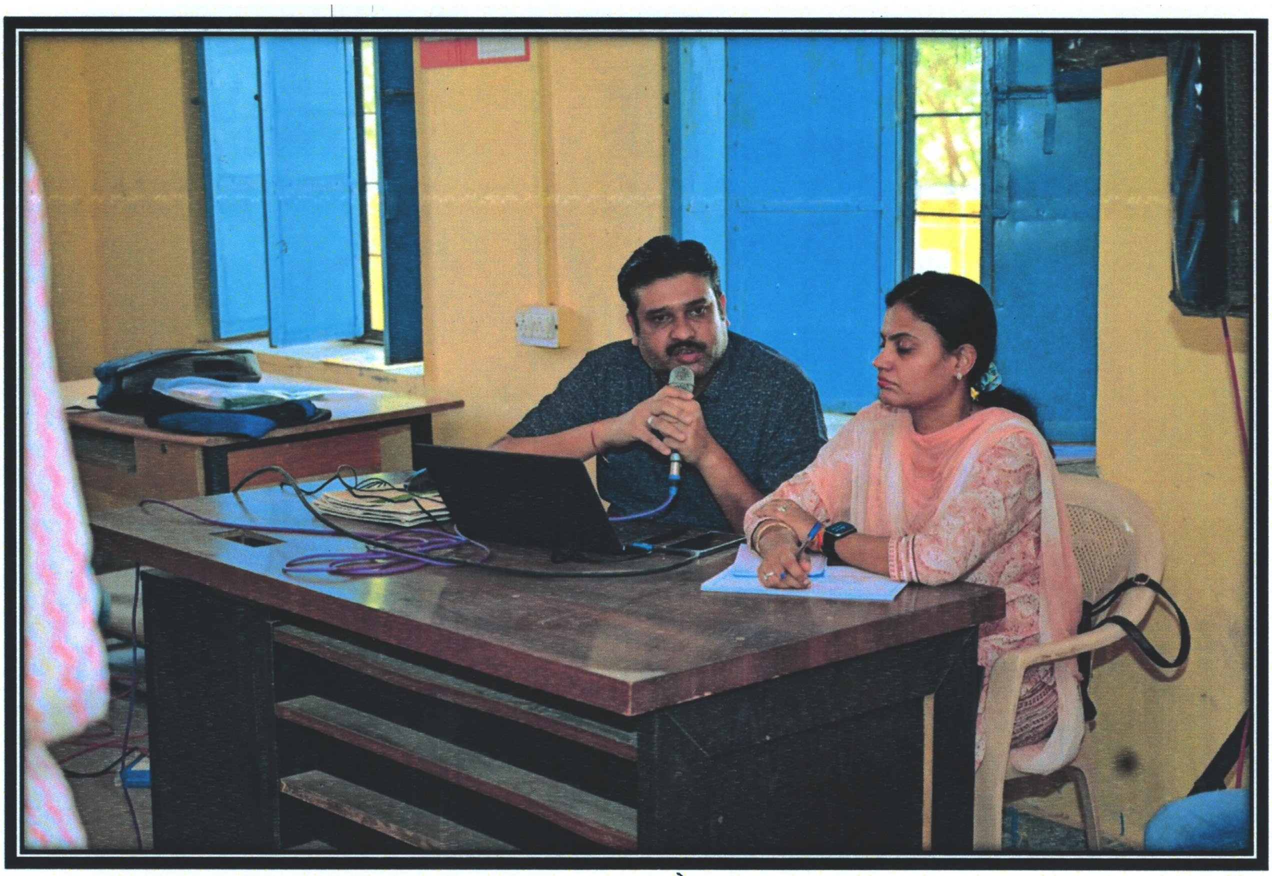

तहसील - खींवसर
काउंटर - 3
हेल्प डेस्क एवं
प्रिन्ट के लिए पधारें

सत गुरु

व्यर्थ जल बहाना कल पड़ेगा पछताना
कचरा पात्र

सत् गुरु
TentCooler